मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय, राई–131029
जिला सोनीपत (हरियाणा)

कृषि फार्म खेती की जमीन को ठेके पर देने हेतु नियम व शर्तों के बारें में।

1. हरियाणा सरकार द्वारा संचालित सह–शिक्षण संस्था मोतीलाल नेहरू खेलकूद विद्यालय, राई सोनीपत में लगभग 20 एकड़ खेती कृषि फार्म की उपजाऊ जमीन जिसमें गेहूं, ज्वार, जई, बरसीम आदि उपजाई जाती रही है, को 01 जून 2021 से 01 मई 2022 तक प्रतिष्ठित ठेकेदार को ठेके पर दी जानी है। इस जमीन पर पानी के लिए टयूबवैल उपलब्ध है जिसमें 25 एच.पी. की मोटर लगी है। यह जमीन घट या बढ भी सकती है।

2. खेती की जमीन 01 जून 2021 से 01 मई 2022 तक के लिए खेती करने हेतु ठेके पर दी जायेगी तथा खेती में जो भी खर्चा होगा वह सारा ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा जैसे बीज, पानी, खाद, दवाई मजदूर, जुताई मजदूरी आदि। दिनांक 01 जून 2021 को जिस अवस्था में जमीन दी जायेगी उसी अवस्था में दिनांक 01 मई 2022 को वापिस ले ली जायेगी। अगर कोई बाहर का व्यक्ति स्कूल की जमीन पर अकारण कब्जा करने का प्रयास करता है तो ठेकेदार को उसकी सूचना विद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी/प्रधानाचार्य एवं निदेशक को तुरन्त देनी होगी ताकि कोई व्यक्ति स्कूल की जमीन पर नाजायज इस्तेमाल या कब्जा न कर सके।

3. खुली बोली में भाग लेने वाले ठेकेदारों को 20,000 रू जमानत राशि नगद स्कूल कार्यालय में दिनांक 31 मई 2021 को प्रातः 10:00 बजे तक जमा करवानी होगी तथा खुली बोली उसी दिन 12:00 बजे की जायेगी।

4. खुली बोली के ठेके का निर्णय होने पर कुल राशि का 25 प्रतिशत उसी वक्त स्कूल कार्यालय में जमा करवाना होगा जो कि पहली किस्त में समायोजित कर दिए जायेगें।

5. 1,50,000/– रू की जमानत राशि तथा 100/– रूपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमैंट पहली किस्त के साथ कार्यालय में जमा करवाने होगा।

6. ठेकेदार को ठेके की किस्त दो हिस्सों में देनी होगी। पहली किस्त (25 प्रतिशत) ठेका छूटने के एक माह के अन्दर जमा करवाना होगा। यदि ठेकेदार पहली किस्त का (25 प्रतिशत) जमा नही करवाता तो बोली के दिन जमा करवाई गई 25 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी। दूसरी किस्त बकाया 50 प्रतिशत दिनांक 01 नवंबर 2021 तक जमा करवानी होगी। किसी कारणवश समय से 15 दिनों की देरी तक किस्त न जमा करवाने पर ठेकेदार को 18 प्रतिशत ब्याज के साथ रकम जमा करवानी होगी। यदि वह ऐसा करने में असमर्थ होगा तो बोली रद्द समझी जाएगी और पूरा पैसा जो जमा किया गया है जब्त कर लिया जाएगा।

7. ठेकेदार हर महिने बिजली के बिल की अदायगी की रसीद की फोटोकॉपी क्वार्टर मास्टर कार्यालय में जमा करवानी होगी।

8. ठेकेदार जमीन में भूसा तथा गोबर रखने के लिए कूप नही बनायेगा और न ही किसी और को ठेके पर दे सकेगा।

9. स्कूल की आवश्यकतानुसार ठेकेदार को स्कूल की लगभग 10 एकड़ जमीन में घोड़ों के चारे हेतु टयूबवेल का पानी मीटर रीडिंग या आपस में तय किये गये रेट के अनुसार देना हागा। स्कूल को पानी तीन दिन के भीतर उपलब्ध न करवाने की स्थिति में 500/– रू प्रतिदिन का जुर्माना ठेकेदार से वसूला जायेगा।

10. स्कूल की जमीन जो ठेके पर दी जायेगी उसको खेती के अतिरिक्त और किसी भी कार्य के लिए प्रयोग में नही लाया जायेगा तथा किसी भी प्रकार का भवन निर्माण इत्यादि नही किया जाऐगा।

11. ठेके के लिए सूचनार्थ नजदीक के 10 गाँवों में पंचायत की मदद से की जायेगी।

12. स्कूल में किसी भी पशु/जानवर आदि को रखने की अनुमति नही दी जायेगी।

13. खेती पर कार्य करने वाले मजदूर आदि को सूची पूर्ण पत सहित ठेकेदार द्वारा स्कूल में जमा करवानी होगी। स्कूल द्वारा पास देने पर ही उन्हें स्कूल में प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

14. सक्षम अधिकारी प्रधानाचार्य एवं निदेशक के पास बिना कोई कारण बताएं अधिकतम/सर्वोच्य बोली को स्वीकार या निरस्त करने को अधिकार आरक्षित है ठेके का निर्णय खुली बोली द्वारा दिनांक 31 मई को दोपहर 12:00 बजे स्कूल प्रांगण में किय जाऐगा।

15. ट्यूबवैल व बिजली के उपकरण चलती हालत में दिए जाएगें और जिस हालात में उपकरण दिए जाएगें उसी हालात में वापिस लेंगें।

16. जमानत राशि की वापसी ठेका खत्म होने के एक महिने के अन्दर स्कूल कार्यालय में बेबाकी प्रमाण पत्र जमा करवाने के पश्चात ही की जायेगी।

17. यदि ठेकेदार बिजली की चोरी करते हुये किसी विभागीय कर्मचारी या बिजली बोर्ड के कर्मचारी द्वारा पकड़ा गया तो वह जुर्माने आदि का स्वयं जिम्मेवार होगा।

18. स्कूल में उपलब्ध ट्यूबवैल का पानी प्रयोग किया जायेगा एवं उसका बिजली का बिल टैंडर समय का! स्कूल के द्वारा ठेकेदार से लिया जायेगा।

19. जमीन को ठेके पर दिए जाने का अन्तिम निर्णय स्कूल के प्रधानाचार्य एवं निदेशक का होगा जो सभी के लिए मान्य होगा।

20. ठेकेदार व स्कूल के बीच किसी प्रकार के विवाद होने पर फैसला सोनीपत जूरिसडिक्सन में ही होगा।

for प्रधानाचार्य एवं निदेशक
एमएनएसएस, राई। (AOD)